आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद संख्या –187/2018

मु0 चम्पा देवी

बनाम

1. बिहार सरकार
2. जिला दण्डाधिकारी, सिवान

आदेश

	उपस्थिति, वादी के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, श्री श्रीनिवास सिंह प्रतिवादी संख्या 01 और 02 के तरफ से :– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम)	
आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
26.09.2024 **01.11.2024**	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, सिवान द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–309/2017–18 में दिनांक–07.08.2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, महाराजगंज –सह– प्रभारी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, दरौंदा ने अपने पत्रांक– 18, दिनांक– 28.04.2017 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी – सह – अनुज्ञापन पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान को प्रतिवेदित किया गया कि :– दिनांक 27.04.2017 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर दरौंदा थाना के पुलिस पदाधिकारी के साथ पंचायत– बाल बंगरा अन्तर्गत ग्राम– झंझवा में अनाज के कालाबाजारी होने के संबंध में छापामारी की गयी, जिसमें पिक–अप वाहन 407 नं0 BR-0M-6267 पर कालाबाजारी की नियत से प्लास्टिक के बोरा में पलटी किया हुआ एवं हाथ से सिलाई किया हुआ 35 बैग (47 किलो प्रति बैग की दर से) कुल– 16.45 क्वींटल गेंहूँ एवं 59 बैग (45 किलो प्रति बैग की दर से) कुल– 26.55 क्वींटल चावल लदा था, को जप्त किया गया और उसमें संलिप्त चालक, खलासी, दो पलदार एवं स्थानीय ग्रामीणों से लिये गये बयान के अनुसार जप्त अनाज मु0 चम्पा देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम– झंझवा का बतलाया गया, जिसे कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था। इसलिए उपरोक्त विक्रेता मु0 चम्पा देवी, चालक,	

Web Copy Not Official

खलासी एवं दो पलदारों के विरूद्ध दरौंदा थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी काण्ड सं0 69/17 दिनांक 27.04.2017 दर्ज किया गया है।

उक्त के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता से अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान द्वारा ज्ञापांक 294 दिनांक 06.05.2017 से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसके अनुपालन में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान ने अपने आदेश ज्ञापांक 518 दिनांक 03.08.2017 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति सं0 101/ 2007 को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, सिवान के न्यायालय में वाद सं0–309/2017–18 दायर किया गया। समाहर्त्ता, सिवान द्वारा दिनांक 07.08.2018 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। समाहर्त्ता, सिवान के आदेश से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार,''जब्त खाद्यान्न उनकी दूकान को आवंटित किए जाने की बात जाँच अधिकारी के प्रतिवेदन में दी गई थी। जबकि सही तथ्य यह है कि जब्त सामग्री उनकी दूकान को आवंटित नहीं की गयी थी और जाँच अधिकारी द्वारा बिना उनके भण्डार का सत्यापन किए ही उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। इस बिन्दु पर निम्न न्यायालय मे उनकी ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गयी थी जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जब्त चावल एवं गेहूँ उनकी दूकान का नहीं था और ना ही उसकी कोई कालाबाजारी हुई। सही तथ्य यह है कि प्रश्नगत खाद्यान्न ग्रामवासियों से शिव मंदिर अष्टयाम यज्ञ हेतु था और राजनीतिक दुश्मनी के कारण गलत ढंग से इस मामलें में उनको फंसा दिया गया। यदि जाँच अधिकारी द्वारा उनके भण्डार और वितरण पंजी का सत्यापन किया गया होता तो कोई अनियमितता नहीं मिलती। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। स्थानीय मुखिया और वार्ड सदस्य की अनुशंसा पर भी निम्न न्यायालय ने विचार नहीं किया। उक्त अनाज के लिए शिव मंदिर के पुजारी ने मुख्य न्यायाधीश, सिवान के समक्ष अनाज को वापस लेने हेतु याचिका भी दायर किया गया था। परन्तु निम्न न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचार नहीं किया। इसलिए निम्न न्यायालय का आदेश आधारहीन एवं अस्पष्ट है, जो बरकरार रखने योग्य नहीं है।''

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अनुसार ''निम्न न्यायालय का आदेश जाँच अधिकारी

Web Copy Not Official

द्वारा पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर अपीलार्थी को स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाए जाने के पश्चात् पारित किया गया है और इसमें प्रक्रियागत कोई त्रुटि नहीं है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आगे बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज के ज्ञापांक– 294, दिनांक– 06.05.2017 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण के साथ–साथ तीन माह के भंडार पंजी एवं वितरण पंजी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था, जिसके क्रम में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों का खण्डन किया गया है, परन्तु वितरण पंजी एवं भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता का यह कृत्य **बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अनुसूची 03 के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व की कंडिका 21 में अंकित प्रावधान ''अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन तथा वितरण के संबंध में बहियों या अभिलेखों को पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरीक्षण पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मांगी जाय।''** का स्पष्ट उल्लंघन है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) को विस्तारपूर्वक सुनने एवं वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालीय अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(1) पुनरीक्षणकर्ता के कालाबाजारी में संलिप्त पाये जाने के आरोप के कारण अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, महाराजगंज द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से विधिवत् स्पष्टीकरण की मांग की गई। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवान के न्यायालय में आपूर्ति अपील दायर किया गया, जिसमें समाहर्ता द्वारा विधिवत् रूप से पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपील आवेदन को खारिज कर दिया। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक/वैधानिक त्रुटि नहीं है।

(2) पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध पायी गयी अनियमितता के संदर्भ में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 07 के तहत् दरौंदा थाना काण्ड सं0– 69/17 दर्ज की गई है, न्यायालय में विचाराधीन है।

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 25 (i)(ड़), 28 एवं 29 में अंकित है कि:–

Web Copy Not Official

(25)(i)(ड़) ''अनुज्ञप्तिधारी जो कालाबाजारी में लगा हो अथवा खुले बाजार में खाद्यान्नों को भेज रहा हो अथवा अन्य व्यक्ति/संगठन के राशन दूकानों को दे देता हो, अपने को अपनी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए दायी करेगा। संबंधित प्राधिकारी इस विषय में लापरवाही नहीं दिखाएंगे।''

(28) ''यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन या किसी अन्य आपराधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जाती है और वह जेल भेज दिया जाता है या फरार हो जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दी जायेगी तथा सिविल प्रोसिज्योर कोड (सी0पी0सी0) के अनुसार कारण–पृच्छा का तामिला कराने के बाद और विक्रेता को इस संबंध में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देकर, यथासंभव, 180 दिनों के अन्दर विधि सम्मत् कार्रवाई की जायेगी।''

(29)''आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 के अधीन किये गये किसी आदेश के उल्लंघन में या किसी अन्य अपराध में किसी अनुज्ञप्तिधारी का सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहरा दिया गया हो, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर देगा।

परन्तु जहाँ ऐसी दोषसिद्धि अपील या पुनरीक्षण में अपास्त कर दी जाती है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति पुर्नस्थापित कर दी जायेगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति रद्दकरण के अपास्त करने के आदेश के पारित होने की तिथि के एक माह के भीतर उसकी एक अभिप्रमाणित प्रति एवं एक नयी अनुज्ञप्ति के फीस के समतुल्य अनुज्ञप्ति फीस का ट्रेजरी चालान से भुगतान करने के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है।''

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन या किसी अन्य आपराधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जाती है या कालाबाजारी में संलिप्तता पाई जाती है तो अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित/रद्दीकरण की कार्रवाई की जायेगी और यदि दोष सिद्ध नहीं होता है तो अनुज्ञप्ति पुर्नस्थापित करने की कार्रवाई की जा सकेगी। चुँकि पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध आपराधिक मामलें अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आपराधिक मामलों में साक्ष्य "Beyond all reasonable doubts" की कसौटी पर आंका जाता है, जबकि अनुज्ञप्ति संबंधित मामलों में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक त्रुटियों पर भी विचार किया जाना है। प्रस्तुत मामलें में पुनरीक्षणकर्ता के

Web Copy Not Official

विरूद्ध बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 25 (i)(ड़), 28, 29 एवं अनुसूची 03 के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व की कंडिका 21 में अंकित प्रावधान के उल्लंघन का स्पष्ट आरोप के आलोक में उनकी जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथेष्ट है एवं इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतएव आपूर्ति अपीलवाद सं0– 309/17–2018 में निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2018 को पारित आदेश को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तद्नुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त

Web Copy Not Official